उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 891/तीस–1–2010–7(29)/08
लखनऊः दिनांकः 21 मई,2010

अधिसूचना

भूमि अर्जन अधिनियम,1894 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1894) की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को लोक प्रयोजन अर्थात जिला बदायूँ में नवीन उप बस स्टेशन ग्राम बिल्सी बाहर चुंगी परगना कोट तहसील बिल्सी के निर्माण हेतु आवश्यकता है।

चूंकि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा–(1) के उपबंध, उक्त भूमि पर लागू होते हैं क्योंकि उक्त भूमि की जिला बदायूँ में नवीन उप बस स्टेशन ग्राम कस्बा बिल्सी बाहर चुंगी परगना कोट तहसील बिल्सी के निर्माण हेतु आत्ययिक आवश्यकता है और इस आत्ययिकता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा–5–क के अधीन जांच करने में सम्भावित विलम्ब को विवर्जित किया जाए, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5–क के उपबंध लागू नहीं होगें।

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
बदायूँ	बिल्सी	कस्बा बिल्सी बाहर चुंगी	544	0.41 हेक्टे0	
योगः–	–	–	1 कित्ता	0.41 हेक्टे0	

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–नवीन उप बस स्टेशन ग्राम कस्बा बिल्सी बाहर चुंगी परगना कोट तहसील बिल्सी के निर्माण हेतु।

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा जिला बदायूँ के कलेक्टर के कार्यालय देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

(माजिद अली)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Pariwahan Anubhag-1

The Governor is pleased to order the publication following English translation of notification no. 899/30-1-2010-7(29)/08, dt. 21-05-2010 for general information.

Notification

No. 899/30-1-2010-7(29)/07
Lucknow: Dated: 21-05- 2010

Under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act,1894 (Act no.1 of 1894), the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose namely, for construction of new sub Bus station Gram Kasba Bilsi Bahar Chungi Pargana Kot and tahsil Bilsi in district-Badaun.

Being of opinion that the provisions of sub-section (1) of section 17 of the said Act are applicable to the said land in as much as the said land is urgently required for sub Bus station Gram Kasba Bilsi Bahar Chungi Pargana Kot and tahsil Bilsi in district-Badaun and that in view of the pressing urgency it is as well necessary to eliminate the delay likely to be caused by an enquiry under section 5-A of the said Act, the Governor is further pleased to direct under sub-section (4) of section 17 of the said Act that the provisions of section 5-A of the Act shall not apply.

SCHEDULE

District	Pargana	Village	Plot No.	Approximate area	Remarks
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bilsi	Kasba Bilsi Bahar Chungi	544	0.41 Hectare	-
TOTAL	-	-	1 KITTA	0.41 Hectare	

For what purpose required- For the construction of new sub Bus station Gram Kasba Bilsi Bahar Chungi Pargana Kot and Tahsil Bilsi.

Note- A plan of the land may be inspected in the office of the Collector.

By Order,

(MAJID ALI)
PRAMUKH SACHIV